

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2010—आश्विन 13, शक 1932

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 15-11-2010-दस-2.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-135-10-3-2000 दिनांक 17-1-2001, एफ. 14-46-92-दस-दो दिनांक 10-1-1995 तथा क्रमांक एफ. 14-46-92-दस-दो दिनांक 4-7-1995 द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बढ़ते वन्यप्राणियों को सुरक्षा एवं नैसर्गिक पूरक आवास सुनिश्चित करने, साथ ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के लाभोन्मुखी पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय विकास कार्यों हेतु कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के प्रतिरोधक कटिबद्ध (बफर जोन) क्षेत्रों को फील्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) मण्डला के क्षेत्रीय एकीकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण में रखा गया था तथा उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा इसे प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) के अंतर्गत बफर जोन वनमण्डल के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचित किया गया था.

वर्तमान बफर जोन एवं फेन अभ्यारण्य के मध्य आने वाले पूर्व मण्डला क्षेत्रीय वनमण्डल के मोतीनाला परिक्षेत्र के वन एवं राजस्व क्षेत्र को बफर जोन वनमण्डल में सम्मिलित किए जाने पर टायगर रिजर्व तथा फेन अभ्यारण्य के बीच वन्यप्राणियों का आवागमन एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी एवं वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित 2006) की धारा 38V4 (ii) के तहत बफर जोन को पुन अधिसूचित किया जा सकेगा.

विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-2-10- दिनांक 29 सितम्बर 1976, 14-61-76-दस-2 दिनांक 26 फरवरी 1977, 14-46-92-दस-दो दिनांक 10 जनवरी 1995, 14-46-92-दस-दो दिनांक 4 जुलाई 1995 एवं उपरोक्तानुसार मात्र संशोधित/पुनरीक्षित रहेंगे तथा पूर्व अधिसूचना के अन्य प्रयोजन यथावत रहेंगे.

## अनुसूची

वृत्त का नाम (1)	जिला (2)	वनमंडल का नाम (मुख्यालय) (3)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) (4)	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय) (5)	परिक्षेत्र (मुख्यालय) (6)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण (7)	वनमण्डल की सीमाओं का विवरण (8)
कान्हा टायगर रिजर्व.	मण्डला बालाघाट	बफर जोन वनमंडल, कान्हा टायगर रिजर्व (मण्डला)	1134.31 (वन एवं राजस्व क्षेत्र)	1. सिझौरा (मण्डला) (528.32 वर्ग कि.मी.)	1. खटिया (खटिया) 2. सिझौरा (सिझौरा) 3. मोतीनाला (मोतीनाला).	<b>उत्तर</b> —छत्तीसगढ़ राज्य सीमा एवं फेन अभयारण्य के मिलन बिन्दु कक्ष क्रमांक 1384 की उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर फेन अभयारण्य की दक्षिण सीमा जो कि फेन नदी पर कक्ष क्रमांक 1316 में मिलती है, तत्पश्चात् फेन नदी के अनुदिश कक्ष क्रमांक 1416 की उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष 1418 एवं 1419 की उत्तरी सीमा जहां पर मण्डला-चिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग मिलता है. तत्पश्चात् मण्डला-बालाघाट अंतर्जिला सीमा जहां कि यह राजस्व ग्राम करंजिया, जिला मण्डला में हालोन नदी में मिलती है, उसके पश्चात् मण्डला जिले में राजस्व ग्राम करंजिया एवं सिझौरा की उत्तरी सीमाएं, फिर ग्राम गुनेरा, नेवसा और डुंगरिया की दक्षिणी सीमाएं, उसके उपरांत राजस्व ग्राम मांझीपुर, सरही, कटंगी, टकटौआ, मोहगांव एवं मवाला की उत्तरी सीमाएं, फिर राजस्व ग्राम कटंगी और घोंट की दक्षिणी सीमाएं, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम मगधा की उत्तरी एवं पश्चिम सीमाएं जहां पर कि यह सुलकुम (सुर्पण) नदी में मिलती है, फिर सुलकुम (सुर्पण) नदी के अनुदिश उसके माला नाले के साथ संगम तक, उसके पश्चात् माला नाला जहां पर कि यह वनग्राम समैया-भागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलता है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनेरी, अतरचुआ, बनियागांव, मानिकपुर एवं उमरडीह की दक्षिणी सीमाओं तक.	<b>उत्तर</b> —छत्तीसगढ़ राज्य सीमा एवं फेन अभयारण्य के मिलन बिन्दु कक्ष क्रमांक 1384 की उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर फेन अभयारण्य की दक्षिण सीमा जो कि फेन नदी पर कक्ष क्रमांक 1316 में मिलती है, तत्पश्चात् फेन नदी के अनुदिश कक्ष क्रमांक 1416 के उत्तरी सीमा से होते हुए कक्ष 1418 एवं 1419 की उत्तरी सीमा जहां पर मण्डला-चिल्पी राष्ट्रीय राज मार्ग मिलता है. तत्पश्चात् मण्डला-बालाघाट अंतर्जिला सीमा जहां कि यह राजस्व ग्राम करंजिया, जिला मण्डला में हालोन नदी में मिलती है, उसके पश्चात् मण्डला जिले में राजस्व ग्राम करंजिया एवं सिझौरा की उत्तरी सीमाएं फिर ग्राम गुनेरा, नेवसा और डुंगरिया की दक्षिणी सीमाएं, उसके उपरांत राजस्व ग्राम मांझीपुर, सरही, कटंगी, टकटौआ, मोहगांव एवं मवाला की उत्तरी सीमाएं, फिर राजस्व ग्राम कटंगी और घोंट की दक्षिणी सीमाएं, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम मगधा की उत्तरी एवं पश्चिम सीमाएं जहां पर कि यह सुलकुम (सुर्पण) नदी में मिलती है, फिर सुलकुम (सुर्पण) नदी के अनुदिश उसके माला नाले के साथ संगम तक, उसके पश्चात् माला नाला जहां पर कि यह वनग्राम समैया-भागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलता है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनेरी, अतरचुआ, बनियागांव, मानिकपुर एवं उमरडीह की दक्षिणी सीमाओं तक.
						<b>पूर्व</b> —वनग्राम भनौरी से मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा, के अनुदिश होते हुए उत्तर की ओर कक्ष क्रमांक 1384 की उत्तरी सीमा पर फेन अभयारण्य के कक्ष क्रमांक 449 के मिलने तक.	<b>पूर्व</b> —वनग्राम मनौरी से मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा के अनुदिश होते हुए उत्तर की ओर कक्ष क्रमांक 1384 की उत्तरी सीमा पर फेन अभयारण्य के कक्ष क्रमांक 449 के मिलने तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<p><b>दक्षिण</b>—राजस्व ग्राम नारना तथा धनवार के उत्तरी भाग में स्थित मण्डला-बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा, तत्पश्चात् कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिम एवं उत्तरी सीमाएं.</p> <p><b>पश्चिम</b>—राजस्व ग्राम उमरडीह से राजस्व ग्राम की पूर्वी सीमा, कक्ष क्रमांक 341, 342, 343, 771 एवं 772 की पश्चिमी सीमाओं तक जहां पर यह बंजर नदी से मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश जहां पर कि यह मण्डला और बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा को बालाघाट जिले के राजस्व ग्राम खैरलांजी के निकट पार करती है.</p>	<p><b>दक्षिण</b>—राजस्व ग्राम कोहका से चिल्पी की ओर जाने वाले बैहर-चिल्पी मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम बम्हनी तक, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम बम्हनी, भारदा, गुदमा तथा भीमा की दक्षिणी सीमाएं, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर नदी एवं जमुनिया नाले के संगम तक, तत्पश्चात् पूर्व की ओर जाने वाला जमुनिया नाला जहां पर कि वह कवर्धा जिले के बरबसपुर राजस्व ग्राम के निकट मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा में मिलता है.</p>	
	2. मलांजखण्ड (बैहर) (605.99 वर्ग कि. मी.)	1. गढ़ी (गढ़ी)	2. खापा (बैहर)	3. समनापुर (मलांजखण्ड)	<p><b>उत्तर</b>—कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा, तत्पश्चात् धनवार एवं नारना राजस्व ग्रामों की उत्तरी सीमा पर स्थित बालाघाट-मण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा जहां यह बंजर नदी में मिलती है. गढ़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत हालोन नदी से प्रारम्भ होकर मण्डला और बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा.</p> <p><b>पूर्व</b>—मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा.</p> <p><b>दक्षिण</b>—राजस्व ग्राम कोहका से चिल्पी की ओर जाने वाले बैहर-चिल्पी मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम बम्हनी तक, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम बम्हनी, भारदा, गुदमा तथा भीमा की दक्षिणी सीमाएं, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर नदी एवं जमुनिया नाले के संगम तक, तत्पश्चात् पूर्व की ओर जाने वाला जमुनिया नाला जहां पर कि वह कवर्धा जिले के बरबसपुर राजस्व ग्राम के निकट मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा में मिलता है. गढ़ी परिक्षेत्र हेतु कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, की उत्तरी सीमा.</p> <p><b>पश्चिम</b>—खैरलांजी राजस्व ग्राम के निकट जहां बंजर नदी बालाघाट-मण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा में मिलती है वहां से बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्नौर नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्नौर नदी के अनुदिश जहां पर बैहर-चिल्पी मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्नौर नदी को पार करता है.</p>	<p><b>पश्चिम</b>—राजस्व ग्राम उमरडीह से राजस्व ग्राम छिछारी की पूर्वी सीमा, कक्ष क्रमांक 341, 342, 343, 771 एवं 772 की पश्चिमी सीमाओं तक जहां पर यह बंजर नदी से मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर नदी तन्नौर नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्नौर नदी के अनुदिश जहां पर बैहर-चिल्पी मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्नौर नदी को पार करता है, तक.</p>	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. पी. शर्मा**, अपर सचिव.